राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्या– 01 / 2024

हरलाल सिंह खेरवा पुत्र फूलाराम उम्र 32 वर्ष [illegible] निवासी पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड जरिये प्रबन्धक 765 / 400 के.वी. उपकेन्द्र ग्राम जसरापुर चनाना रोड़, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

......अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
2. अनीता देवी पत्नी शंकर जाति [illegible] उम्र 43 वर्ष निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0
3. आशीष कुमार केडिया पुत्र अशोक कुमार [illegible] उम्र 32 वर्ष निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला [illegible] राज0
4. कृष्ण केडिया पुत्र अशोक कुमार [illegible] महाजन उम्र 30 वर्ष निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0
5. जितेन्द्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह जाति राजपूत उम्र [illegible] वर्ष निवासी ढाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0
6. प्रदीप कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति [illegible] उम्र 41 वर्ष निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0
7. मनोज कुमार पुत्र भोलाराम जाति कुम्हार उम्र [illegible] वर्ष निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0
8. महेन्द्र सिंह पुत्र रोतान सिंह जाति राजपूत उम्र 49 वर्ष निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0
9. रघुवीर सिंह पुत्र लक्ष्मणराम जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0

..........रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2022
ग्राम पंचायत जसरापुर द्वारा करने नामांतरकण सं. 2798
दिनांक 25.02.2022

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री विजय सिंह शेखावत – अपीलाण्ट की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.02 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक 10—06—2025

अपीलाण्ट की ओर से अपील के आधारो से पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने दिनांक 09.05.2020 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 9 से ग्राम जसरापुर स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं 320 खसरा नंबर 2814/2459, 2816/2459, 2818/672 कुल किता 3 कुल रकबा 2.86 है. सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2020 को खरीद की थी तथा अपीलान्ट अपनी उक्त खरीद शुदा भूमि पर खरीद की दिनांक से बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट ने अपनी उक्त खरीद शुदा भूमि का नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु विक्रय पत्र की एक प्रति पटवार हल्का जसरापुर को पेश की जिस पर पटवार हल्का जसरापुर ने अपनी रिपोर्ट "मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र के नामांतरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं निर्णय सेवा में पेश है"। तथा भू.अ. निरीक्षक की जांच रिपोर्ट "रिकार्ड से मिलान किया अंकन सही है।" पटवार हल्का ने उक्त नामांतरकरण सं. 2798 दिनांक 25.02.2022 को ग्राम पंचायत जसरापुर की ग्राम सभा में दिनांक 06.06.2022 को पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं. 2(1) दिनांक 06.06.2022 द्वारा खारिज किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा नामांतरकरण संख्या 2798 दिनांक 25.02.2022 ग्राम जसरापुर को खारिज करने का आदेश दिनांक 06.06.2022 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। सरपंच ग्राम पंचायत जसरापुर ने दिनांक 06.06.2022 को नामांतरकरण सं. 2798 दिनांक 25.02.2022 अस्वीकार करने से पूर्व रिकार्ड की कोई जांच नहीं की बिना कोई जांच किये ही नामांतरकरण खारिज करने की कानूनी भूल की है। इसलिए ग्राम पंचायत जसरापुर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का आदेश दिनांक 06.06.2022 निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जसरापुर द्वारा नामांतरकरण संख्या 2798 दिनांक 25.02.2022 को खारिज करने का आदेश दिनांक 06.06.2022 को निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 2798 को स्वीकार किये जाने का आदेश देने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। अपील में वर्णित तथ्य आधारो पर गौर किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख नकल नामान्तरकरण सं. 2798 दिनांक 28.02.2022, नकल जमाबंदी संवत् 2073—2076 खाता सं. 320 ग्राम जसरापुर, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2020 के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि विक्रय पत्र रेस्पोडेण्ट्स सं. 2 लगायत 9 ने अपीलाण्ट पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सुब्सिडियारी), रेजिस्टर्ड ऑफिस बी—9, कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया, कटवारिया सराय, नई देहली, द्वारा अधिकृत श्री अलोक, [illegible] मिशन सिस्टम लिमिटेड खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान के हक में [illegible] किया गया है जबकि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया [illegible] द्वारा तस्दीक की कार्यवाही में विधिक प्रक्रिया में त्रुटि रही है [illegible] बित होने पर स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.02 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 2798 ग्राम पंचायत जसरापुर दिनांक 6.06.2022 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खेतड़ी को प्रति प्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाता है कि नियमानुसार प्रकरण में पत्रावली में संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 10.06.2020 के संदर्भ में परीक्षण कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 10–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.02 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested